

10.9.24  
अधिवक्तागण उपस्थित। पीअर्सन अधिकारी  
नव्य कार्य/बुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली  
निकाह को पेश हो।  
19.11.24

19.11.24  
अधिवक्तागण उपस्थित। पीअर्सन अधिकारी  
नव्य कार्य/बुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली  
निकाह को पेश हो।  
30.1.25

30.01.2025:-पत्रवाली आज पेशी में ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जाने के उपरान्त अनुपस्थित है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असागतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

सहायक क्लर्क  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88  
आर0 टी0 एक्ट0  
राजस्व वाद संख्या:- /2021

269  
2021

Reader Report  
सहायक क्लर्क

- 1- दर्शन सिंह
- 2- करनैल सिंह,
- 3- जरनैल सिंह,
- 4- गुरमीत सिंह

पिसरान स्व0 श्री  
वार्ड नम्बर-1 उ  
हनुमानगढ़-

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़

खातेदारी अधिकारी के  
घोषणा हेतु वादपत्र

श्रीमान्जी

वादपत्र वादीगण निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पत्र वादीगण प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत पता शीर्षक वादपत्र
- 2- यह कि चक 2 डीबीएल के खाता संख्या-43/302 है जिसमें श्री टालाराम व लालचन्द पिसरान सौदागरराम बराबर दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2072-2074
- 3- यह कि वादीगण ने दिनांक 26-03-1973 में सौदागरराम के नाम 1.518 हैक्टेपर बहिस्सा बहिस्सा बराबर खरीद की है। प्रमाणित प्रतिनिधि
- 4- यह कि वादीगण ने प्रश्नगत बैयनामा के आधार पर नहीं करवाया है। प्रश्नगत आराजी बैयनामा के आधार पर में बहिस्सा बराबर चली आ रही है।
- 5- यह कि वादीगण उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर तथा टालाराम-लालचन्द पिसरान सौदागरराम आशय की घोषणा प्राप्त की है। अधिकारी है कि वादीगण में दर्ज कृषि भूमि 3.036 हैक्टेपर में वादीगण नम्बर-66/280 किला नम्बर-23-24-25, पत्थर नम्बर-66/281 किला नम्बर-3-4 बराबर के खातेदार काश्तकार है।